राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मुकेश कुमार बनाम झूमा देवी

तारीख हुक्म	153/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस के आधार पर ही अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। अत: पत्रावली में निर्णय किया जा रहा है। अधिवक्ता अपीलार्थी की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03/01/2017 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करते हुये विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये एवं तत्पश्चात विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये पक्षकारान की तामील करवाने के पश्चात राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प म्हार खुर्द में दिनांक 15/06/2017 को पत्रावली नियत कर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये दिनांक 03/01/2017 को जारी अन्तरिम आदेश का ता-फैसला स्थायी करते हुये मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों को पाबन्द किया गया है, जिसमे कोई विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। इसके अतिरिक्त मूल वाद के निस्तारण तक विवादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखने हेतु उसकी यथास्थिति को बनाये रखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है ताकि पक्षकारान के मध्य नवीन विवाद उत्पन्न होकर प्रकरण में जटिलता उत्पन्न नही हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15/06/2017 में कोई त्रुटी प्रतीत नही होने से उसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	